<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 303 / 2025

श्री सुरेन्द्र बांगडवा (पत्रकार), डी—1, द्वितीय तल, तुलस्यान मार्केट, रोडवेज डिपो के सामने, झुंझुनूं

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

—–

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

<u>आदेश</u>

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 303 / 2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 3592—93 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2016 / 830 दिनांक 13.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र बांगडवा, तुलस्यान मार्केट, झुंझुनूं द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक आर0टी0आई0 / 2025 / 811—12 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा आवेदक को स्वयं को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2016 / 830 दिनांक 13.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र बांगडवा, तुलस्यान मार्केट, झुंझुनूं द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय कें पत्र कमांक आर0टी0आई0 / 2025 / 811—12 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा आवेदक को स्वयं को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपूर्ण है एवं अदालती कार्यवाही निर्णय और अन्य संबंधित जानकारी से संबंधित है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय नही है जिसके कम मे अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं